



भारतीय लेखापरीक्षण और लेखा विभाग  
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

**प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी)-I, महाराष्ट्र**  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA**

2री मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यू मरीन लाईन्स, 2<sup>nd</sup> Floor, PRATISHTHA BHAVAN, NEW MARINE LINES,  
101, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई - 400 020. 101, MAHARSHI KARVE ROAD, MUMBAI 400 020.  
Telephone: (022)-22039680. FAX: 22086984. E-mail: [agaeMaharashtral@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtral@cag.gov.in) Website: <http://agmaha.cag.gov.in>

सं. अभिलेख-1/ले. व ह.-1/सीसीटीवी कैमरा/

दिनांक : 04/05/2021

## टेंडर सूचना

इस कार्यालय में पाच जगह अर्थात (1) पीएओ अनुभाग के कॉरीडोर (2) कैंटीन कॉरीडोर (3) लोन अनुभाग के कॉरीडोर (4) डीसी-4 अनुभाग के कॉरीडोर और मुख्य लिफ्ट के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

स्थानीय वेडरों से निवेदन है कि कृपया दिनांक 12/5/2021 तक कार्यालय की साइट विजिट करें और कार्यालय की निम्न आवश्यकताओं के आधार पर सभी स्पेशिफिकेशन अर्थात किमत, लेबर चार्जस, टैक्स आदि के साथ कोटेशन प्रदान करें:-

- 1) 2MP IP Bullet Camera - Qty. 5
- 2) HikVision 8 channel NVR - Qty.1
- 3) 4 Port POE Switch
- 4) 4TB hard Disk
- 5) CAT-6 Cable and other cables as per requirement and other requirements & option to connect any office Desktop and Mobile.

मुहर बंद लिफाफे में कोटेशन प्रधान महालेखाकार, लेखा व हकदारी-1 कार्यालय, मुंबई-20 को सम्बोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "सीसीटीवी कैमरा हेतु कोटेशन" लिखा होना चाहिए। मुहरबंद कोटेशन कार्यालय में दिनांक 20/05/2021 को दोपहर 3.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद प्राप्त होने वाली कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोटेशन में सभी नियम व शर्तें साफ-साफ वर्णित होनी चाहिए। यह कार्यालय किसी भी या सभी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/अभिलेख-1